

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प.1(1)साप्र/2/2016

जयपुर, दिनांक 23.01.2017

—: आदेश :—

श्री अरविन्द पोषवाल, (आईएएस), संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर जिनकी तृतीय श्रेणी की वरियता संख्या 202/2016 एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 31.3.2046 है, के आधार पर उनके निवास हेतु द्वितीय श्रेणी राजकीय आवास संख्या ६६, गांधीनगर, जयपुर (रिक्त होने की प्रत्याशा में) राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 के प्रावधानान्तर्गत नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है :—

शर्तः—

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से ८ दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति उपरान्त आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पति/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(गा)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से ८ दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से ६ माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। ६ माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— कृपया आवंटी के द्वारा आवास का आवास के रिक्त होने की तिथि से ८ दिवस में लिया जायेगा अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करायें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

इन्द्र सिंह राव
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त / जिला कलक्टर, जयपुर।
2. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री कार्यालय सामान्य प्रशासन विभाग की आईडी संख्या एफ ३९/एम/साप्रवि/2016 दिनांक 23.1.2017 के क्रम में।
4. श्री अरविन्द पोषवाल (आईएएस), संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
6. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
7. पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग/कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (मुख्यालय), जयपुर।
10. अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य विभाग/जयपुर विभाग निगम लिंग, गांधीनगर, जयपुर।
11. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा रिक्त उपलब्ध होने के उपरान्त निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-६ की पालना को भी अमल में लावें।
12. सहायक प्रोग्राम, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर—कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
13. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
14. निदेशक/उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
15. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
16. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव